रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2394] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2016/आश्विन 11, 1938
No. 2394] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2016/ASVINA 11, 1938

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3118(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), जैसा भी मामला हो, के अधीन कंपनियों या कंपनियों के वर्गों द्वारा अनुपालन की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन मानकों को तैयार करने और निर्धारित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक सलाहकार समिति का गठन करती है जिसे राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति कहा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	श्री अमरजीत चोपड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट	अध्यक्ष, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(2)	श्री मानस कुमार ठाकुर, अध्यक्ष भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(3)	सुश्री ममता बिनानी, अध्यक्ष, कंपनी सचिव संस्थान के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(4)	श्री एम. देवराजा रेड्डी, अध्यक्ष भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]।

(5)	संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(6)	श्री सुदर्शन सेन, प्रभारी प्रमुख महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(7)	महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नामनिर्दिशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(8)	डा. संजीव सिंघल, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]।
(9)	संयुक्त सचिव, टीपीएल-II केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(10)	श्री दीपांकर चटर्जी, भारतीय उद्योग संघ के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]।
(11)	श्री सुशील अग्रवाल भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]।
(12)	डा. अशोक हल्दिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सहयोगी मंडल के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(13)	कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2. अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन होने तक, इनमें से जो पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे।

3. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V (पार्ट-VI)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2016

S.O. 3118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons, to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as the case may be, namely:-

(1) Shri Amarjit Chopra, Chartered Accountant	Chairperson, [nominated under clause (a) of sub-section (2) of section 210A]
(2) Shri Manas Kumar Thakur, President, Nominee of the Institute of Cost Accountants of India	Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]
(3) Ms. Mamta Binani, President, Nominee of the Institute of Company Secretaries of India	Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]
(4) Shri M. Devaraja Reddy, President, Nominee of the Institute of Chartered Accountants of India	Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]
(5) Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	Member, [nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 210A]
(6) Shri Sudarshan Sen, Chief General Manager-in-Charge, Nominee of the Reserve Bank of India	Member, [nominated under clause (d) of sub-section (2) of section 210A]
(7) Director General (Commercial), Nominee of Comptroller and Auditor-General of India	Member, [nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 210A]
(8) Dr. Sanjeev Singhal, Former Associate Professor, FORE School of Management	Member, [nominated under clause (f) of sub-section (2) of section 210A]
(9) Joint Secretary, TPL-II, Nominee of the Central Board of Direct Taxes	Member, [nominated under clause (g) of sub-section (2) of section 210A]
(10) Shri Dipankar Chatterji, Nominee of the Confederation of Indian Industry	Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]

IndiaCode

(11) Shri Sushil Agarwal, Nominee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry	Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A].
(12) Dr. Ashok Haldia, Nominee of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India	Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]
(13) Executive Director, Nominee of Securities Exchange Board of India	Member, [nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 210A].

2. The Chairperson and members shall hold office for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till the constitution of National Financial Reporting Authority under section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), whichever is earlier.

3. This notification shall come into force on its publication in the Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL-V (Part VI)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.03 19:45:08 +05'30'